यूपी में तैनात वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू

गाजियाबाद/लखनऊ, 31 जुलाई (भाषा)।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने शनिवार को कहा कि उसने एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी के खिलाफ सेवानिवृत्त अधिकारी की बेटी का उत्पीड़न करने के आरोपों को लेकर जांच शुरू की है। गाजियाबाद में रहने वाले सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी बीआर मीणा के खिलाफ ट्विटर पर उनकी बेटी का उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे। मीणा वर्तमान में इलाहाबाद में पीएसी के महानिरीक्षक के पद पर तैनात हैं।

अशोक कुमार ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया, 'इलाहाबाद पीएसी के महानिरीक्षक और 97 बैच के आइपीएस अधिकारी मीणा ने मेरी बेटी को देर रात कॉल किए और अलग-अलग नंबरों से उसे धमकाया। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे।' उन्होंने इस ट्वीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को भी टैग किया। कुमार या उनकी बेटी के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुमार का ट्विटर अकाउंट जुलाई 2021 में बनाया गया है। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि डीजीपी गोयल ने पीएसी के एडीजी अजय आनंद को इस मामले में जांच कर जल्द ही रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस बीच, गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि शिकायत का संज्ञान लिया गया है और मामले की जांच की जाएगी। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अभी गाजियाबाद में औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

भारत में कोरोना का एक मामला दर्ज हुआ तो औसतन 30 मामले छूटे : विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

स्वतंत्र महामारी विज्ञानी डॉ चंद्रकांत लहरिया द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के चौथे सीरो सर्वेक्षण के विश्लेषण में कहा गया है कि भारत में कोरोना का एक मामला दर्ज होने के साथ औसतन 30 मामले ऐसे रहे जिनका पता नहीं चला या यह दर्ज नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में एक मामला दर्ज हुआ तो 98 ऐसे मामले रहे जिनका पता नहीं चला।

यूपी में एक के सापेक्ष 98 मामले नहीं हो पाए दर्ज

लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने ट्विटर पर यह विश्लेषण साझा किया जिसमें दिखाया गया कि भारत में प्रत्येक मामले पर कितने ऐसे मामले थे जिनका पता नहीं चला। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा जानबूझकर किया गया लेकिन यह रोग निगरानी प्रणाली के प्रदर्शन और मामलों से निपटने में राज्य के कदमों को दर्शाता है। लहरिया ने कहा, 'कई मामले बिना लक्षण वाले थे जिससे उनका पता नहीं चला। अगर सही से मरीजों के संपर्क का पता किया जाता तो बिना लक्षण वाले मामलों का भी पता चल सकता था। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि कुछ राज्यों ने दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है क्योंकि वे अन्य राज्यों की तुलना में अधिक मामले सामने ला पाए।' केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को देश के 70 जिलों में आइसीएमआर द्वारा किए गए राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के चौथे चरण के निष्कर्षों को साझा किया। मध्य प्रदेश 79 फीसद सीरो उपस्थिति के साथ तालिका में सबसे आगे है वहीं 44.4 फीसद के साथ केरल में सीरो की सबसे कम मौजूदगी मिली। इसके बाद 50.3 फीसद के साथ असम और 58 फीसद के साथ महाराष्ट्र का स्थान है।

विश्लेषण के मुताबिक प्रयोगशाला में कोरोना के एक मामले की पुष्टि के अनुपात में छह से 98 तक ऐसे मामले रहे जो दर्ज नहीं हो पाए। लहरिया के मुताबिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में एक मामला दर्ज हुआ तो 98 ऐसे मामले रहे जिनका पता नहीं चला। जबकि केरल में एक मामला दर्ज हुआ तो छह मामलों का पता ही नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य रहा जहां प्रत्येक मामला पर 83 मामले सामने नहीं आ पाए। सीरो सर्वेक्षण में व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। यह एंटीबॉडी या तो संक्रमण के जरिए या टीके के जरिए तैयार होती है। हालांकि, लहरिया ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर सर्वेक्षण एक अधिक सटीक तस्वीर प्रदान करेगा और सरकार को तत्काल इस तरह के सर्वेक्षण की योजना बनानी चाहिए।

HDFC — हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कार्पोरेशन लि.

WITH YOU, RIGHT THROUGH

शाखा का पता.: एचडीएफसी हाउस, 3-6-310, हैदराबाद रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-500029
टेली: 040-67699065- CIN L70100MH1977PLC019916, वेबसाईटः www.hdfc.com

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कार्पोरेशन लि. (एचडीएफसी लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि को मांग सूचनाएं जारी कर ऋणधारक (कों)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों (नीचें वर्णित) को नीचे दिये गए विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचनाओं में वर्णित राशि के भुगतान का निर्देश दिया था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणधारकों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते पर इस सूचना को चिपकाने की कार्रवाई की। उक्त सूचनाओं की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। तथा उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधियों, यदि वे ऐसा चाहें, किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के सिलसिले में, एतद्द्वारा एक बार फिर से उक्त देनदारों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि कि संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त देनदारों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो, ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेजों/ लेखों के साथ पठित रूप में संबंधित तिथि से भुगतान एवं / अथवा उगाही की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज के साथ उनके नामों के समक्ष कॉलम 'घ' में वर्णित तिथि को कॉलम 'ञ' में यहां नीचे दर्शाई गई राशि का एचडीएफसी लिमिटेड को भुगतान करें। ऋण के नियत पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त देनदार (रों) द्वारा निम्न प्रतिभूत परिसम्पत्तियां एचडीएफसी लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई है।

ऋणधारकों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं. (क)	ऋःणधारकों/सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम (ख)	कुल बकाया देयता (ग)	मांग सूचना तिथि (घ)	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरण (ङ)
1.	श्री गंगीरेड्डी रवि शंकर रेड्डी (ऋणधारक) श्रीमती एरुगुला वेंकटा नवीना (सह-ऋणधारक) ऋण खाता सं. 640042832 तथा 641091596	31 मार्च, 2021 को रु. 4300588/- तथा रु. 221973/- कुल राशिः रु. 4522561/- (रु. पैंतालिस लाख बाईस हजार पांच सौ इकसठ मात्र)*	23 जून, 2021	"रोज गार्डन, रामपल्ली ग्राम तथा ग्राम पंचायत, कीसारा मंडल, मेडचल मल्कागिरि जिला में स्थित 1250 वर्ग फीट, आर.सी.सी. के निर्मित के साथ भूतल पर सर्वे नं. 432 तथा 433/ए, माप 154 वर्ग यार्ड्स अथवा 128,74 वर्ग मी. में प्लाट नं. 1 के भाग पर मकान की सम्पूर्ण सम्पत्ति। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 2, दक्षिणः प्लॉट नं. 1 का भाग, पूर्वः प्लॉट नं. 14 एवं 15, पश्चिमः 30' चौड़ा रोड

* यथा लागू 18% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज, भुगतान एवं/ अथवा उगाही की तिथि तक वहन की गई अनुषांगिक खर्चे, लागतों, चार्जेज आदि के साथ। यदि उक्त देनदार एचडीएफसी लिमिटेड को उपरोक्त का भुगतान करने में विफल होते हैं तो लागतों एवं परिणामों के लिये उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर एचडीएफसी लिमिटेड उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही करेगा।

उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से एचडीएफसी लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों को अंतरित करने से निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करते हैं तो वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा दंड के भागी बनेंगे।

हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. के लिए
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

तिथिः 31.07.2021
स्थानः हैदराबाद

पंजी. कार्यालः रैमन हॉउस, एच.टी. पारेश मार्ग, 169, बैकबे रिक्लैमेशन, चर्चगेट, मुम्बई-400020

धर्मार्थ दान के लिए समान संहिता को लेकर जनहित याचिका

नई दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा)।

उच्चतम न्यायालय में धार्मिक एवं धर्मार्थ दान के लिए समान संहिता के अनुरोध को लेकर एक नई जनहित याचिका (पीआइएल) दायर की गई है और देश भर में हिंदू मंदिरों पर अधिकारियों के नियंत्रण का उल्लेख किया जबकि कुछ अन्य समूहों को अपने स्वयं के संस्थानों का प्रबंधन करने की अनुमति है। याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और सिखों को अपने धार्मिक स्थानों की स्थापना, प्रबंधन और रख-रखाव का उसी तरह का अधिकार हो जैसे मुस्लिमों, पारसियों और इसाइयों को है।

जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दाखिल याचिका में यह दिशा-निर्देश भी देने का अनुरोध किया गया है कि हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को मुस्लिम, ईसाई और पारसियों जैसे अपने धार्मिक स्थानों की चल-अचल संपत्ति के स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रशासन के समान अधिकार हों।पीआइएल में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता का विश्वास है कि राज्य केवल कुछ धार्मिक संप्रदायों जैसे हिंदुओं एवं सिखों के धार्मिक स्थानों को नियंत्रित करके धार्मिक मामलों के प्रबंधन के मामले में भेदभाव कर रहे हैं।

गोवा के मंत्री अपने बयान से पलटे

पणजी, 31 जुलाई (भाषा)।

ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत न होने की बात कही

सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई कोविड-19 मरीजों की मौत होने की बात कहने के दो महीने बाद गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने अब विधानसभा में कहा कि महामारी के दौरान अस्पताल ने जीवनदायिनी गैस की किसी कमी का सामना नहीं किया और इसलिए इसके कारण अस्पताल में किसी की मौत होने का सवाल ही नहीं है।

राणे ने शुक्रवार को सदन में दिए बयान में कहा, 'जीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड-19 के एक भी मरीज की मौत नहीं हुई।' वह विपक्ष के नेता दिगंबर कामत द्वारा सदन में पूछे एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने लिखित जवाब में कहा, 'किसी भी समय जीएमसीएच में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम नहीं हुई और ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण किसी की भी मौत नहीं हुई।'

मिण्डा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

UNO MINDA

पंजी.कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052
कॉर्पो. कार्यालयः ग्राम नवादा फतेहपुर, पी.ओ. सिकन्दरपुर
बड्ड़ा, आईएमटी मानेसर के निकट, गुड़गाँव (हरियाणा)-122004
फोनः 011-49373931, 0124-2290427, फैक्सः 0124-2290676 CIN: L74899DL1992PLC050333
ई-मेलः investor@mindagroup.com, वेबसाईटः www.unominda.com

सूचना

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में यह सूचना दी जाती है।

नियमावली में अन्य बातों के अलावे ऐसे सभी शेयरों को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरण का प्रावधान है जिसके संदर्भ में शेयरधारकों को लगातार सात वर्षों से लाभांश का भुगतान अथवा उनके द्वारा उसका दावा नहीं किया गया है।

तद्नुसार, व्यक्तिगत सूचनाएं ऐसे शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर भेजी जा रही है जिनकी शेयरों को उक्त नियमावली के अंतर्गत आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है।

कम्पनी ने अपनी वेबसाईट www.unominda.com पर आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत ऐसे शेयरधारकों तथा शेयरों के विवरणों को अपलोड कर दिया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वेबसाईट देखें तथा आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली शेयरों के विवरणों की जांच कर लें। शेयरधारक पुनः यह ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जाएगा।

एतद्द्वारा ऐसे सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2013-14 के लिए अप्रदत्त लाभांश का दावा करने के लिए एक अनुरोध के साथ दिनांक 20.9.2021 को या उससे पूर्व कम्पनी/रजिस्ट्रार के पास आवेदन करें ताकि उनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित न की जाए।

कृपया ध्यान रहे कि ऐसे शेयरों पर उपचयित आगे के सभी लाभों, लाभांशों को भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

यह ध्यान रहे कि ऐसी शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित आईईपीएफ में अंतरित शेयरों को नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है।

इस विषय पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स, मै. लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि., नोबल हाइट्स, 1ला तल, प्लॉट नं. एनएच-2, सी-1, ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, टेली. नं. (011) 41410592, ईमेलः delhi@linkintime.co.in से सम्पर्क करें।

मिन्डा इंडस्ट्रीज लि. के लिए
(तरुण कुमार श्रीवास्तव)
कम्पनी सचिव एवं अनुपालक अधिकारी

स्थानः दिल्ली
तिथिः 31 जुलाई, 2021

JINDAL SAW LIMITED

CIN - L27104UP1984PLC023979
Regd. Off.: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
Corp. Office : Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

(₹ Crores)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended
		30.06.2021 Unaudited	31.03.2021 Unaudited	30.06.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited	30.06.2021 Unaudited	31.03.2021 Unaudited	30.06.2020 Unaudited	31.03.2021 Audited
1.	Total income	2,474.35	3,243.04	1,405.55	8,909.80	2,922.42	3,831.10	1,682.03	10,872.03
2.	Net profit/(loss) for the quarter/ year (before tax, exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	226.78	274.15	15.06	506.77	226.08	286.51	(17.89)	499.28
3.	Net profit/(loss) for the quarter/ year before tax (after exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	226.78	274.15	15.06	506.77	226.08	286.51	(17.89)	499.28
4.	Net profit/(loss) for the quarter/ year after tax (after exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	148.30	176.44	10.03	329.05	145.74	186.66	(26.57)	327.73
5.	Total comprehensive income for the period/year [Comprising profit/(loss) for the period/ year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	150.54	197.88	7.28	342.25	156.34	200.87	(30.34)	328.48
6.	Equity share capital (Face value of ₹ 2/- each)	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95
7.	Reserves (excluding revaluation reserve) as at Balance Sheet date				7,074.23				6,919.08
8.	Earnings per share (of ₹ 2/- each) (*not annualised)								
	(1) Basic	4.66*	5.55*	0.32*	10.34	4.78*	5.78*	(0.29)*	10.02
	(2) Diluted	4.66*	5.55*	0.32*	10.34	4.78*	5.78*	(0.29)*	10.02

Note:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/ annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.jindalsaw.com.

On behalf of Board of Directors of Jindal Saw Limited
Sd-
Sminu Jindal
Managing Director
DIN : 00005317

Place: New Delhi
Date: July 30, 2021

The Federal Bank Ltd.

FEDERAL BANK — Your Perfect Banking Partner
B-4, TAGORE MARKET, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015
Regd. Office. Alwaye, Kerala

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after **17/08/2021** as shown below:

Branch / Venue: B-4, TAGORE MARKET, KIRTI NAGAR, NEW DELHI-110015

Name	A/c. No.	Name	A/c. No.
Asha Khaneja	18206100006272	Ramdev	18206100006959
Sandeep Kumar	18206100006280	Manoj Kumar Sharma	18206100006405
Bhawna Verma	18206100006322	Sneh Vaid	18206100006447
Neeraj Piplani	18206100006355	Gurpreet Singh	18206100006488
Gaurav Kumar	18206100006371	Kuljeet Singh Oberoi	18206100006504
Sunil Kumar	18206400000199	Mohit Nigam	18205600000637
Sunil Kumar	18206100003097	V Murugesan	18206100006579
Jujhar Singh Soni	18206100005647	Manish Tomar	18206100006603
Gagan Chandulia	18206100005720	Mohan	18206100006827
Shyamal Kumar Paul	18206600000023	Piyush Bansal	18206100006793
Shyamal Kumar Paul	18206100003105	Piyush Bansal	18206100006801
Jujhar Singh Soni	18206100005779	Sunil Kumar	18206100006777
Pritpal Singh	18206100005761	Ravish Kumar Choudhary	18206100006728
Ratiram	18206400000298	Radhika Dhawan	18206100006751
Ram Kumar	18206100005936	Ashwani Goel	18206100006702
Jai Kishan Sharma	18206100005910	Ram Balak Singh	18206100003709
Prabhjot Kaur	18206100007908	Pankaj Kumar	18206100006892
Mumander Kumar	18206100006082	Jasmeet Nigah	18206100006900
Amit Goel	18206100006116	Sharad Aggarwal	18206100006926
Sunny Verma	18206100006165	Sharad Aggarwal	18206100006918
Naresh Kumar	18206100006199	Mayank Kumar	18206100006934
Rishi Chawla	18206100006249		

Place: New Delhi Date: 01.08.2021 Branch Manager, (The Federal Bank Ltd.)

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA सम्पर्क पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

सेवा में,

1. **प्रदीप कुमार**
2. **श्रीमती सुगन रानी**
3. **श्रीमती चन्दर कला**
4. **मैसर्स तेजस इन्फ्रा।**

इसके प्रोपराइटर के माध्यम से।

सभी निवासी : मकान नं. 29, आदर्श नगर, गांधी चौक, सोनीपत, हरियाणा-131001

प्रिय श्रीमान/मैडम,

ऋण खाता सं. 7658101 तथा 8920068 के तहत 28.07.2021 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात "टीसीएफएसएल" सन्दर्भित) द्वारा आपको 30.07.2017 को स्वीकृत होम इक्विटी (लैप) ऋण के तहत टीसीएफएसएल का रु. 46,78,623/- (रुपये छियालीस लाख अठहत्तर हजार छः सौ तेईस मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकायों में आपके पुनर्भुगतान में चूक के कारण आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 08.12.2021 को एनपीए खाता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी की शक्तियों के उपभोग में 28.07.2021 को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कथित ऋण राशि रु. 46,78,623/- का भावी ब्याज एवं लागतों सहित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सूचना जारी की थी, जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपयोग करेगा।

सम्पत्तियों की अनुसूची

मकान नं. 29, माप 300 वर्ग गज का सम्पूर्ण भाग, मुसलमान पट्टी, निजाद तराना सिनेमा, आदर्श नगर, गांधी चौक, सोनीपत, हरियाणा-131001 पर स्थित, विक्रय विलेख दिनांक 22.08.1981 में अधिक स्पष्ट वर्णित, श्रीमती चन्दर कला के नाम पर।

सीमाएँ : उत्तर :सड़क, दक्षिण : प्लॉट नम्बर 26, पूर्व : प्लॉट नं. 28, पश्चिम : प्लॉट नम्बर 30.

मांग सूचना दिनांक 28.07.2021 की प्रभावी सर्विस सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम एतद्वारा वर्तमान प्रकाशन के माध्यम से कथित सूचना की सर्विस दे रहे हैं। एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों का अन्तरण विक्रय, पट्टे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे।

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 01.08.2021

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA सम्पर्क पता : 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

सेवा में,

1. **मैसर्स लक्ष्मी शिक्षा समिति**
   इसके सचिव/प्रबन्धक/कोषाध्यक्ष के माध्यम से
   मकान नं. 222, गिरधरपुर, कृष्णा नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004, दूरभाष : 9719075552
   साथ ही : ग्राम पचवार, पोस्ट पचवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281308
2. **मुकेश बाबु शर्मा उर्फ मुकेश बाबू शर्मा**
   मकान नं. 222, गिरधरपुर, कृष्णा नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004
   साथ ही : एम.एन.टी. हायर सेकेण्ड्री स्कूल, मुकुन्द विहार, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004
   साथ ही : प्लॉट नं. 41 एवं 42, खसरा नं. पुराना 70 नया 206ग, मौजा गिरधरपुर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281001
3. **श्रीमती उर्मिला उर्फ उर्मिल्ला**
   मकान नं. 222/36, सुखदेव नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004
4. **श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा**
   ग्राम पचवार, पोस्ट पचवार, छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281308
5. **लवलेश शर्मा उर्फ लवलेश शर्मा, 6. श्रीमती अनीता शर्मा, एवं 7. राजेश शर्मा**
   सभी निवासी : मकान नं. 222, गिरधरपुर, कृष्णा नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004

प्रिय श्रीमान/मैडम,

ऋण खाता सं. 7670514 के तहत 29.07.2021 तक टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात "टीसीएफएसएल" सन्दर्भित) द्वारा आपको 31.07.2017 को स्वीकृत होम इक्विटी (लैप) ऋण के तहत टीसीएफएसएल का ब्याज सहित रु. 1,33,42,738.57/- (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तीस एवं सत्तावन पैसे मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बावजूद आपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकायों में आपके पुनर्भुगतान में चूक के कारण आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार 07.11.2020 को एनपीए खाता वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी की शक्तियों के उपभोग में 29.07.2021 को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कथित ऋण राशि रु. 1,33,42,738.57/- का भावी ब्याज एवं लागतों सहित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए सूचना जारी की थी, जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल निम्नलिखित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) में वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपयोग करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

सम्पत्ति सं. 1. प्लॉट नं. 60, 63, 64, 65, 66, खसरा नं. 70 तथा 71 पर, मुकुन्द विहार कॉलोनी, मौजा गिरधरपुर, मथुरा, उत्तर प्रदेश विक्रय विलेख तथा करेक्शन विलेख दिनांक 27.04.2012 में अधिक स्पष्ट वर्णित, मैसर्स लक्ष्मी शिक्षा समिति के पक्ष में क्रियान्वित, इसके सचिव एवं एम.एन.टी. हायर सेकेण्ड्री स्कूल के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, सीमाएँ : पूर्व : 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : चारबाग कॉलोनी, उत्तर : प्लॉट सं. 66 का भाग, दक्षिण : प्लॉट सं 61 एवं 62 तथा नाई ठाकुर का मकान

एक भाग प्लॉट नं. 61, माप क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर, खसरा नं. 70 एवं 71 पर, मुकुन्द विहार कॉलोनी, मौजा गिरधरपुर, मथुरा, उत्तर प्रदेश विक्रय विलेख दिनांक 28.08.2012 में अधिक स्पष्ट वर्णित, महेश बाबू शर्मा के पक्ष में क्रियान्वित, **सीमाएँ** : पूर्व : प्लॉट नं. 62, पश्चिम : प्लॉट सं. 60, उत्तर : प्लॉट सं. 63, दक्षिण : 15 फीट चौड़ी सड़क

सम्पत्ति संख्या 2 : एक भाग प्लॉट नं. 41 एवं 42, एक साथ समामेलित, माप क्षेत्रफल 334.44 वर्ग मीटर, खसरा नं. पुराना 70 एवं नया 206 ग पर, मौजा गिरधरपुर, मथुरा, उत्तर प्रदेश विक्रय विलेख दिनांक 25.08.2014 में अधिक स्पष्ट वर्णित, मुकेश बाबू शर्मा के पक्ष में क्रियान्वित, **सीमाएँ** : पूर्व : प्लॉट सं. 27 एवं 28, पश्चिम : 15 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर : प्लॉट सं. 40, दक्षिण : प्लॉट सं. 43.

मांग सूचना दिनांक 29.07.2021 की प्रभावी सर्विस सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम एतद्वारा वर्तमान प्रकाशन के माध्यम से कथित सूचना की सर्विस दे रहे हैं। एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत उपर्युक्त दायित्व का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत समस्त या किसी अधिकार का उपयोग करेगी। आपको यह सूचना भी दी जाती है कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार आप उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों का अन्तरण विक्रय, पट्टे या अन्य माध्यम से नहीं कर सकेंगे।

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 01.08.2021

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

बैंक ऑफ इंडिया — सम्पत्तियों की ई-नीलामी- 07.09.2021

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली जोन, "स्टार हाउस", एच -2, कनॉट सर्कस, मध्य / बाहरी सर्कल, पीवीआर प्लाजा हॉल, नई दिल्ली के समीप - 110001. फोन नंबर 011-28844099

ई-नीलामी की सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की ब्रिकी के लिए ई-निलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) जिनका विवरण नीचें दिया गया है, को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिभूति ऋणदाता अर्थात बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी/चार्जड अचल संपत्ति जिसे बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा ले लिया गया है, दिनांक 07.09.2021 को प्रातः 11:00 से सांय 05:00 बजे के बीच प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियमावली, 2002 के प्रावधानों के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत "जैसी है" "जहां है" "जो है" के आधार पर ई-नीलामी की जायेगी।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः वसूली जाने वाली राशि (सुरक्षित ऋण) और कब्जे के विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/ बंधक(ओं) का नाम	संपत्ति का विवरण	कुल बकाया	अ. आरक्षित मूल्य ब. ईएमडी स. वृद्धिशील बोली	अधिकृत अधिकारी संपर्क नंबर के साथ
1.	1. मैसर्स बॉन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 2. **निदेशक/गारंटर** : श्री राकेश बंसल 3. **निदेशक/गारंटर** : श्री सनेह प्रकाश बंसल 4. **निदेशक/गारंटर** : श्री तुषार बंसल	आवासीय संपत्ति, फ्लैट नंबर बी-1005, 9वीं मंजिल, ब्लॉक-बी, एससीसी स्फैयर, खसरा नंबर 1010, 1011 और 1012, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच 58, ग्राम नूर नगर, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, जोकि श्री राकेश बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल - 140.75 वर्गमीटर (यह संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है।)	रु. 726.61 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क	अ. रु. 35.00 लाख ब. रु. 3.50 लाख स. रु. 10,000/-	श्री चिरंजीवा एन. सिंह अधिकृत अधिकारी मो.: 6202980894 फोनः011-23717344
2.	1. मैसर्स बॉन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 2. **निदेशक/गारंटर** : श्री राकेश बंसल 3. **निदेशक/गारंटर** : श्री सनेह प्रकाश बंसल 4. **निदेशक/गारंटर** : श्री तुषार बंसल	आवासीय संपत्ति, फ्लैट नंबर बी-1105, 10वीं मंजिल, ब्लॉक-बी, एससीसी स्फैयर, खसरा नंबर 1010, 1011 और 1012, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच 58, ग्राम नूर नगर, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, जोकि श्री राकेश बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल - 140.75 वर्ग मीटर (यह संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है।)	रु. 726.61 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क	अ. रु. 35.00 लाख ब. रु. 3.50 लाख स. रु. 10,000/-	श्री चिरंजीवा एन. सिंह अधिकृत अधिकारी मो.: 6202980894 फोनः011-23717344
3.	1. मैसर्स बॉन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 2. **निदेशक/गारंटर** : श्री राकेश बंसल 3. **निदेशक/गारंटर** : श्री सनेह प्रकाश बंसल 4. **निदेशक/गारंटर** : श्री तुषार बंसल	आवासीय संपत्ति, फ्लैट नंबर बी-1205, 11वीं मंजिल, ब्लॉक-बी, एससीसी स्फैयर, खसरा नंबर 1010, 1011 और 1012, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच 58, ग्राम नूर नगर, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, जोकि श्री राकेश बंसल का नाम है। क्षेत्रफल - 140.75 वर्ग ।मीटर (यह संपत्ति बैंक के प्रतीकात्मक कब्जे में है)	रु. 726.61 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क	अ. रु. 35.00 लाख ब. रु. 3.50 लाख स. रु. 10,000/-	श्री चिरंजीवा एन. सिंह अधिकृत अधिकारी मो.: 6202980894 फोनः011-23717344
4.	1. मैसर्स बॉन मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 2. **निदेशक/गारंटर** : श्री राकेश बंसल 3. **निदेशक/गारंटर** : श्री सनेह प्रकाश बंसल 4. **निदेशक/गारंटर** : श्री तुषार बंसल	आवासीय संपत्ति, फ्लैट नंबर बी-1205ए, 12वीं मंजिल, ब्लॉक-बी, एससीसी स्फैयर, खसरा नंबर 1010, 1011 और 1012, राज नगर एक्सटेंशन, एनएच 58, ग्राम नूर नगर, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित जोकि श्री तुषार बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल - 140.75 वर्गमीटर	रु. 726.61 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क	अ. रु. 35.00 लाख ब. रु. 3.50 लाख स. रु. 10,000/-	श्री चिरंजीवा एन. सिंह अधिकृत अधिकारी मो.: 6202980894 फोनः011-23717344
5.	1. मैसर्स सैनी इंटरप्राइजेज 2. **प्रोपराईटरः** श्री पवन सैनी 3. **गारंटरः** श्रीमती चंदो देवी	(आवासीय - भूमि एवं भवन) प्लॉट नं. सी-131, गली नं. 4, प्रथम पुस्ता, न्यू उस्मानपुर, शाहदरा, दिल्ली-110053, जोकि श्रीमती चंदो देवी के नाम पर है। क्षेत्रफल - 66.88 वर्ग मीटर (यह संपत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है)	रु. 37.51 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क	अ. रु. 47.00 लाख ब. रु. 4.70 लाख स. रु. 10,000/-	श्री प्रदीप कुमार मो.: 8130504167 फोनः 011-22583135
6.	1. नीतू पत्नी पंकज	आवासीय संपत्ति, 50 वर्ग गज क्षेत्र का आरजेड-आई-75, दूसरी मंजिल के पीछे की ओर बिना छत के अधिकार के, खसरा संख्या 15/12, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली-110045, जोकि श्रीमती नीतू के नाम पर है। क्षेत्रफलः 50 वर्ग गज (यह संपत्ति बैंक के भौतिक कब्जे में है।)	रु. 21.31 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क	अ. रु. 17.15 लाख ब. रु. 1,71,500/- स. रु. 10,000/-	श्री आर के महासेठ मो.: 9013085525 फोनः 011-47056876
7.	1. श्रीमती रविंदर कौर दिलावरी (मृतक) 2. श्री जसपाल सिंह दिलावरी 3. श्री इतेंदर पाल सिंह दिलावरी	आवासीय संपत्ति, दूसरी मंजिल (बाएं तरफ कोने वाला हिस्सा) प्लॉट नंबर 60, ब्लॉक-ए, मालवीय नगर, नई दिल्ली, जोकि श्री जसपाल सिंह दिलावरी और श्रीमती रविंदर कौर दिलावरी (मृतक) के नाम पर है। प्लॉट एरियाः 150 वर्ग गज, आच्छादित क्षेत्र- 1012.50 वर्ग फुट	रु. 22.69 लाख + यूसीआई + अन्य शुल्क	अ. रु. 101.00 लाख ब. रु. 10.10 लाख स. रु. 50,000/-	श्री अमित कुमार, मो.: 8968740417 फोनः 011-26564130

नियम व शर्तें

1) **नीलामी की बिक्री/बोली केवल वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली' प्रक्रिया के माध्यम से होगी।**
2) इच्छुक बोलीदाताओं को eBkray पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और अपना/अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन ईएमडी को जमा करना होगा, तद्उपरान्त उन्हे उक्त पोटर्ल पर ई-नीलामी में भाग लेने हेतु अनुमति मिलेगी।
3) **नीलामी की तिथि और समयः 07.09.2021 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ।**
4) **संपत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ 27.08.2021 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**
5) ई-नीलामी, आरक्षित मूल्य प्लस प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में बोलीदाता अपने प्रस्तावों में सुधार कर सकेगें।
6) **इच्छुक बोलीदाता ई-ऑक्शन में सुगम भागीदारी के लिए ईएमडी यानी बोली की राशि का 10% ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में आवश्यक दस्तावेजों/ विवरणों के साथ 06.09.2021 से पहले eBkray पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर जमा कर लें।**
7) उच्चतम/सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि बोली राशि का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
8) बोली/खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पूरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9) संपूर्ण विक्रय होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और बैंक कोई दावा नहीं करेगा।
10) **बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक देखें - https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3**
11) **यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों को 15 दिनों का अग्रिम नोटिस भी है।**

प्राधिकृत अधिकारीः
बैंक ऑफ इंडिया

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.08.2021

www.readwhere.com